

न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
 सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या-164/2013
 राम सागर पासवान बनाम बिहार सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, विरौल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27/06/15	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक राम सागर पासवान, पिता-ठक्को पासवान, ग्राम-ब्रह्मपुर, पंचायत-औराही, कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, विरौल के आदेश ज्ञापांक-466 दिनांक-09.03.13 से आवेदक के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या-84/01 को रद्द किये जाने के विरुद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी विरौल के पत्रांक-3725 दिनांक-14.12.13 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक विरौल प्रखण्ड के औराही पंचायत का अनुसूचित जाति का पुराना एवं बेदाग जन वितरण प्रणाली विक्रेता रहे हैं। आवेदक के द्वारा प्रारम्भ से ही नियमानुसार दुकान चलाने के कारण इनके विरुद्ध कभी कोई आरोप लम्बित नहीं रहा, और न ही वे कभी सजावार हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, विरौल के द्वारा पत्रांक-843 दिनांक-16.10.2012 से जनवरी, 2012 से अगस्त, 2012 तक बी0पी0एल0 अन्त्योदय मद का खाद्यान्न वितरण नहीं किये जाने पर आवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसका उत्तर आवेदक के द्वारा समय सीमा के अन्दर कार्यालय में जमा कर दिया। आवेदक के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि उनकी पत्नी की बीमारी तथा कठिन ईलाज में काफी खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। साथ ही भविष्य में खाद्यान्न का मुल्य जमा करने में बिलम्ब नहीं करने का वचन दिया गया। आवेदक द्वारा सभी कार्डधारियों को समुचित रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समुचित रूप से किये जाने के आलोक में ग्रामीण उपभोक्ताओं के द्वारा एक आवेदन जिला पदाधिकारी, दरभंगा के नाम से भी दिया गया। बिहार सरकार के विभागीय पत्रांक-4036/आ0व0 दिनांक-26.11.94 के द्वारा निदेश प्राप्त है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाय। आवेदक की अनुज्ञप्ति जीवित एवं दुरुस्त है। आवेदक के दिनांक-02.03.13 से दिनांक- 25.08.13 तक अत्यधिक बीमार रहने के कारण अपील दायर करने में कुछ विलम्ब हुआ। आवेदक की दुकान की अनुज्ञप्ति का नवीकरण शुल्क वर्ष-2016 तक जमा है। आवेदक द्वारा जानबुझकर अनुज्ञप्ति के किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं सभी प्रावधानों का सर्तकता से पालन किया जाता रहा है। आवेदक के</p>	

